

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-5) विभाग

क्रमांकःप. 4 (1)साप्र / 5 / 09पार्ट

जयपुर, दिनांक: 8-6-11

प्रबन्धक,
ट्रांजिट होस्टल,
जयपुर ।

विषय— ट्रांजिट आवास में परिवर्तन बाबत् ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि श्री लाल चन्द ओझा , आर० ए० एस० (नि०) को इस विभाग के आज्ञा स. 7(1)साप्र / 5 / 08 दिनांक 19.4.08 द्वारा आवास संख्या 10 (ओ०टी०एच०) आंवटित किया गया था ,को आंवटन की दिनांक 19.4.08 से 18.4.2012 तक (अधिकतम 4 वर्ष) की अवधि के लिए नियमितिकरण करते हुए नियमानुसार देय दरों पर आवास संख्या 10(ओ०टी०एच०) के स्थान पर जी 3/3 (न्यू०टी०एच०) का आंवटन पूर्व निर्धारित शर्तों के अध्याधीन एतद द्वारा स्वीकृती प्रदान की जाती है ।

नवीन आवास पत्र जारी होने के 7 दिवस में शिफट कराने का श्रम करें ।

उक्त स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

भवदीय,

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि श्री लाल चन्द ओझा ,आर०ए०एस० (नि०) फलेट सं० 10 ओल्ड ट्रांजिट होस्टल, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि पत्र जारी होने के सात दिवस में अपना आवास संख्या 10(ओ०टी०एच०) के स्थान पर जी 3/3 (न्यू०टी०एच०) शिफट करें ।

उप शासन सचिव